Court Case No - 126/2026

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

Summons

फा. सं.: NCST/DEV-5760/MH/17/2025-RU-I

श्री पृथ्वीराज बी. पी.,
आयुक्त,
वसई विरार शहर नगर निगम (मुख्य कार्यालय),
विराट नगर, म्हाडा कॉलोनी के पास विरार पश्चिम,
पालघर, महाराष्ट्र-401303
ई-मेल: commissioner.vmc@gov.in

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामलें का अन्वेषण करने का निश्चय किया है, अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष (श्री अंतर सिंह आर्य) के समक्ष **दिनांक 20.04.2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे आयोग मुख्यालय, न्यायालय कक्ष-I, 6वां तल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली** में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एतद्द्वारा अपेक्षित है। आप राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा जांच के लिए सम्बंधित दस्तावेज अपने साथ लायें।

मामलें का सन्दर्भ:-

संदर्भ 1. आयुक्त, वसई विरार शहर महानगरपालिका द्वारा विकास हक प्रमाण पत्र (टी. डी. आर. प्रमाण पत्र) जारी नहीं करने के संदर्भ में श्री विष्णु जगू पागी एवं अन्य निवासी तहसील-वसई, पोस्ट-आमाशी, जिला-पालघर, महाराष्ट्र-401203 का अभ्यावेदन दिनांक 19.08.2025 के संदर्भ में।

संदर्भ 2: आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 26.12.2025 (प्रति संलग्न).

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत कारण के इस आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिए गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक 07, अप्रैल, 2026 को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

हस्ताक्षर

न्यायालय अधिकारी

Court Officer
National Commission for Scheduled Tribes
Government of India
Lok Nayak Bhawan, New Delhi

मोहर